

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) डिण्डौरी
जिला-डिण्डौरी

क्र./आ.वि/वन.अधि./2015

13252 // कोटेशन //

डिण्डौरी,दिनांक 28/11/15

—00—

वन अधिकार अधिनियम 2006 संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत बैगा चक के 52 ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार (CFR) की जी आईएस मैपिंग का कार्य कराया जाना है। जिसके लिए कार्य विवरणानुसार प्रकाशित दिनांक से तीन दिवस के अन्दर कोटेशन कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास डिण्डौरी में कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं, इसके बाद प्राप्त होने वाले कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। कराये जाने वाले कार्य का विवरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के नियम/शर्तें जिले के वेबसाइट www.dindori.nic.in पर देखी जा सकती है।

* Preparation of geo-referenced digital map


कलेक्टर
जिला-डिण्डौरी

नियम/शर्तें :-

1. उपरोक्त कार्यों के लिए एक ही दर दी जावे।
2. कार्य निर्धारित समयकाल में पूर्ण किया जाना है।
3. कार्य का सर्वेक्षण उपरोक्त सुपटान की कार्यवाही को आगेगी।
4. निर्धारित समयकाल में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में कार्य अन्य तरीके से कराया जा सकता है।
5. पंजीकृत फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।

वन अधिकार अधिनियम 2006 संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार (CFR) की जी आईएस मैपिंग का कार्य विवरण

Particulars	Proposed Cost
<ul style="list-style-type: none">• Mapping of existing assets of villages• Digitization of Community Forest Rights• Preparation of land use land cover map of village• Providing hard copy of map• Preparation of geo-refenced digital map	

नियम/शर्त :-

1. उपरोक्त कार्यों के लिए एक ही दरे दी जावे।
2. कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है।
3. कार्य का सत्यापन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
4. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में कार्य अन्य फर्म से कराया जा सकता है।
5. पंजीकृत फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।


कलेक्टर
जिला-डिण्डौरी